



# Get the facts!

## उचित आवास और किराये:

पूरे राष्ट्र में, लगभग 35% आबादी किराये के आवासों में रहती है। वर्तमान और संभावित दोनों प्रकार के किरायेदारों को संरक्षित करने के लिए उचित आवास कानून मौजूद हैं। ओपन कम्युनिटीज़ का उद्देश्य हमारे किरायेदारी समुदायों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार होता है।

उचित आवास कानूनों के अलावा, अलग-अलग राज्यों, काउंटियों या म्युनिस्पैलिटीज़ के भी अपने मकानमालिक और किरायेदार संबंधी अध्यादेश हो सकते हैं।

## अपराध मुक्त/उत्पात अध्यादेश:

कुछ स्थानीय समुदायों ने अपराध मुक्त या उत्पात अध्यादेश लागू किये हैं। इन अध्यादेशों के तहत किसी प्रॉपर्टी के मालिक/मैनेजर के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच कराना ज़रूरी हो सकता है। किसी आपराधिक पृष्ठभूमि या गिरफ्तारी के होने से ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति आवास से बहिष्कृत हो जाये। आपको किराये की यूनिट में रहने के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

## भेदभाव को पहचानना:

इन दिनों, आवास में भेदभाव आम तौर पर मुंह पर दरवाज़ा बन्द किये जाने या बदतमीज़ी भरी बात कहने के मुकाबले कहीं ज़्यादा बारीक होता है। इन बातों से अनजान अपार्टमेंट चाहने वालों को विनम्रतापूर्वक उनकी पसंद का घर देने से मना कर दिया जाता है भले ही वे वहां रहने की पात्रता रखते हों। आपको किराये पर घर लेते समय बराबरी के बर्ताव का अधिकार है। संघीय, राजकीय और स्थानीय कानून हममें से हरेक की भेदभाव से रक्षा करते हैं। अगर आपने कोई अपार्टमेंट तलाश करते समय इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां सुनी हों, तो आपको आवास संबंधी भेदभाव का अनुभव हो सकता है:

- "हम दो बेडरूम के अपार्टमेंट को दो से ज़्यादा लोगों को किराये पर नहीं देते हैं।"
- आप बिल्डिंग में जाने के लिए रैंप नहीं बना सकते, इससे बिल्डिंग कोड का उल्लंघन होता है।"
- "माफ़ कीजिये; मैं अनुवादक के ज़रिये आपके साथ काम नहीं कर सकता।"
- "सामुदायिक कक्ष सभी के लिए उपलब्ध नहीं है; रविवार को हमारे यहां ईसाई प्रार्थना सभाएं होती हैं।"
- "हमने अभी-अभी अपार्टमेंट किराये पर दे दिया है।" लेकिन वह यूनिट अगले दिन भी उपलब्ध रहती है।

जब आप ओपन कम्युनिटीज़ से संपर्क करते हैं, तो हमारे उचित आवास विशेषज्ञ आपकी स्थिति के तथ्यों का मूल्यांकन करेंगे और आपके अधिकारों और विकल्पों के बारे में आपसे बात करेंगे।

## जब आपके साथ अनुचित बर्ताव किया जाता है तो क्या करें:

- ओपन कम्युनिटीज़ फ़ेयर हाउसिंग कर्मचारियों से 847-501-5760 पर संपर्क करें
- समस्या का दस्तावेजीकरण करें (दर्ज करें)
- बातचीत और नतीजों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें
- सभी रसीदें, आवेदन फ़ॉर्म, बिज़नेस कार्ड और अन्य प्रासंगिक कागज़ात को सहेजकर रखें
- अगर आप शिकायत दर्ज करने की सोच रहे हों तो देर न करें - इसमें समय सीमाएं होती हैं।

"The work that provided the basis for this publication was supported by funding under a grant with the U.S. Department of Housing and Urban Development. The substance and findings of the work are dedicated to the public. The author and publisher are solely responsible for the accuracy of the statements and interpretations contained in this publication. Such interpretations do not necessarily reflect the views of the Federal Government."



614 Lincoln Avenue  
Winnetka, Illinois 60093-2308

P 847.501.5760

F 847.501.5722

[open-communities.org](http://open-communities.org)

Open Communities is a leading voice for housing, economic and social justice in north suburban Chicago, working to promote inclusive communities that are welcoming to all.